न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 36 / 2024
दायर दिनांकः–06.03.2024
पीठासीन अधिकारीः–विजयेश कुमार पण्डया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री लोकेश पाटीदार पुत्र श्री प्रकाश पाटीदार, मैसर्स श्रीराम किराणा स्टोर, सालमगढ़ रोड, दलोट
2. श्री प्रवीण चिप्पड पुत्र श्री सोहनलाल मैसर्स चिप्पड एण्ड कम्पनी, जवाहर नगर, कॉलेज रोड प्रतापगढ़

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 12 / 06 / 2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (कोहिनूर ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल [illegible] लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.12.2023 को 2.30 पी.[illegible] प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स श्रीराम किराणा स्टोर, सालमगढ़ रोड दलोट पहुंचा वहां पर रिफाईण्ड

प्रतापगढ

सोयाबीन तेल (कोहिनुर ब्राण्ड) 435 एम एल की 10 बोतले पैक अवस्था में रखी थी। उस समय मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थित हुआ उसे अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। खाद्य कारोबारकर्ता ने अपना नाम लोकेश पाटीदार पुत्र प्रकाश बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास मौके पर उपलब्ध था। पैक अवस्था में रखे रिफाईण्ड सोयाबीन तेल पर शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया ओर बताया कि उक्त रिफाईण्ड तेल का एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है जिसकी प्रति न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रिफाईण्ड सोयाबीन तेल 435 एम एल की 4 पैक बोतले वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 360 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर कियें जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सोयाबीन तेल बोतलो को पैक अवस्था में विक्रेता एवं गवाहान के सामने 4 लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड एवं क्रमांक, दिनांक व वस्तु का नाम व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाह के भी हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग भूरे कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ प्रतापगढ़ की हस्ताक्षर पेपर स्लिप नं वाई–2039 नियमानुसार चारो नमूना बोतलो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व रेपर होते हुए करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना के रेपर पर कोड नम्बर, सिरियल नम्बर, वस्तु का नाम, दिनांक व स्थान अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा [illegible] प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल [illegible] फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटरकवर में सीलबन्द कर सील [illegible] जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवे[illegible] के साथ संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बांसवाडा को जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सीलबन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला प्रतापगढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है । अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री राधेश्याम प्रजापत को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित एवं उनके द्वारा बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। इस क्रम मे मैसर्स चिप्पड एण्ड कम्पनी को फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस पर फर्म द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की। अप्रार्थी अभियुक्तो को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच लेब/बांस/एक्ट/2023/1578 दिनांक 15.12.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 [illegible] 26 की उपधारा 2(II) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके [illegible] में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये [illegible] है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से [illegible]ण्डित किया जाना उचित है । अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

3

धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त के वहां दिनांक 04.12.2023 को रखी 10 बोतल तेल की कुल कीमत 900 रू की पॉच गुना शास्ति 4500/– रू मैसर्स चिप्पड एण्ड कम्पनी पर आरोपित की जाती है । अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 न्यायालय में अथवा जरिये चालान/नगद से राजकोष में निर्णय दिनांक **12.06.2025** से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

कमांक/रीडर/2025/ दिनांक 12.06.2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. अप्रार्थी अभियुक्त श्री प्रवीण चिप्पड पुत्र श्री सोहनलाल मैसर्स चिप्पड एण्ड कम्पनी, जवाहर नगर, कॉलेज रोड प्रतापगढ़

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.11 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested